संख्या–237 / 2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त / अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर / कानपुर नगर / वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2022**

विषयः–कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत कतिपय छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–15 / 2022–सीएक्स–3, दिनांक 04.01.2022, आदेश संख्या–69 / 2022–सीएक्स–3, दिनांक 09.01.2022, आदेश संख्या–70 / 2022–सीएक्स–3, दिनांक 10.01.2022 तथा आदेश संख्या–202 / 2022– सीएक्स–3, दिनांक 05.02.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समय–समय पर कतिपय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं एवं कक्षा–9 से उच्चतर डिग्री कालेज तक शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः–

(1) समस्त जिम खुले रहेंगे एवं स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क पूर्व की भाँति बन्द रहेंगे।

(2) रेस्टोरेन्ट / होटल के रेस्टोरेंट / फूड ज्वाइण्ट्स एवं सिनेमा हाल अपनी क्षमता के साथ संचालित होंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

(3) नर्सरी / कक्षा–1 से लेकर समस्त शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइडलाइन्स यथा–मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय–समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 14.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे।

(4) समस्त सरकारी कार्यालय / निजी कार्यालय पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किये जायें।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–237 (1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।